रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/96 REGD. NO. D.L.-33004/96

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 145] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 13, 1996/भाद्र 22, 1918
No. 145] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 13, 1996/BHADRA 22, 1918

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY No. Date GOVT OF INDIA

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 सितम्बर, 1996

आ. अ. 222(अ).—यतः, आन्ध्र प्रदेश राज्य में 27-नन्दयाल संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से निर्वाचित एक सदस्य, श्री पी. वी. नरसिम्हा राव के त्यागपत्र देने के परिणामस्वरूप लोक सभा के लिए उक्त सदन में एक रिक्ति हो गई है ;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 149 की उप-धारा 1 के उपबन्धों के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग उक्त निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा करता है कि वह उक्त अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों और आदेशों के अनुसार उक्त रिक्ति को भरने के लिए एक सदस्य निर्वाचित कर दें ।

[सं. 100/आं. प्र.-लो. स./1/96(1)]
आदेश से,
अर्चना अरोड़ा, सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th September, 1996

O.N. 222(E).—Whereas a vacancy has occurred in the House of the People by reason of the resignation of Shri P. V. Narasimha Rao, a member elected to that House from 27-Nandyal Parliamentary Constituency in the State of Andhra Pradesh ;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of sub-section (1) of Section 149 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby calls upon the said constituency to elect a member to fill the said vacancy in accordance with the provisions of the said Act and of the Rules and Orders made thereunder.

[No. 100/AP-HP/1/96(1)]
By Order,
ARCHNA ARORA, Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 सितम्बर, 1996

आ. अ. 223(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 30 के उपबन्ध के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा तारीख 13 सितम्बर, 1996 की अपनी अधिसूचना सं. 100/आ. प्र.-लो. स./1/96(1) के अनुसरण में आन्ध्र प्रदेश राज्य में 27-नन्दयाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में होने वाले उप निर्वाचन के बारे में :—

(क) नाम निर्देशन करने की अन्तिम तारीख
20 सितम्बर, 1996 (शुक्रवार)

(ख) नाम निर्देशनों की संवीक्षा की तारीख
21 सितम्बर, 1996 (शनिवार)

(ग) अभ्यर्थितायें वापस लेने की अन्तिम तारीख
23 सितम्बर, 1996 (सोमवार)

(घ) वह तारीख जिसको यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा
11 अक्तूबर, 1996 (शुक्रवार), और

(ङ) वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन पूरा कर लिया जायेगा
17 अक्तूबर, 1996 (बृहस्पतिवार), और

नियत करता है ।

[सं. 100/आं. प्र.-लो. स./1/96(2)]
आदेश से,
अर्चना अरोड़ा, सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th September, 1996

O.N. 223(E).—In pursuance of the provisions of Section 30 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby appoints, with respect to the bye-election to be held in 27-Nandyal Parliamentary Constituency in the State of Andhra Pradesh, in pursuance of its Notification No. 100/AP-HP/1/96(1), dated the 13th September, 1996 :—

(a) the 20th September, 1996 (Friday)
as the last date for making nominations ;

(b) the 21st September, 1996 (Saturday),
as the date for the scrutiny of nominations ;

(c) the 23rd September, 1996 (Monday),
as the last date for the withdrawal of candidatures ;

(d) the 11th October, 1996 (Friday),
as the date on which a poll shall, if necessary, be taken ; and

(e) the 17th October, 1996 (Thursday),
as the date before which the election shall be completed.

[No. 100/AP-HP/1/96(2)]
By Order,
ARCHNA ARORA, Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 सितम्बर, 1996

आ. अ. 224(अ).—भारत निर्वाचन आयोग, अपनी अधिसूचना सं. 100/आ. प्र.-लो. स. /1/96(1) के अनुसरण में 27-नन्दयाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के लिए होने वाले उप-निर्वाचन के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 56 के अनुसरण में 7.00 बजे पूर्वाह्न से 5.00 बजे अपराह्न तक का समय ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा ।

[सं. 100/आं. प्र.-लो. स./1/96(3)]
आदेश से,
अर्चना अरोड़ा, सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th September, 1996

O.N. 224(E).—In pursuance of Section 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby fixes the hours from 7.00 A.M. to 5.00 P.M. as the hours during which a poll shall, if necessary, be taken for the bye-election to the House of the People from 27-Nandyal Parliamentary Constituency to be held in pursuance of its Notification No. 100/AP-HP/1/96(1), dated the 13th September, 1996.

[No. 100/AP-HP/1/96(3)]
By Order,
ARCHNA ARORA, Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1996